



Neutral Citation No.-2026:AHC:46030-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 4232 सन् 2026

आरक्षित : 21.1.2026

प्रदत्त : 27.2.2026

मुश्ताक अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:- आलोक सिंह, रमेन्द्र प्रताप सिंह
प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता	:- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अजित कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. श्री रमेन्द्र प्रताप सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो श्री आलोक सिंह, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त हैं, की याचिकाकर्ता की ओर से तथा श्री एस.के.श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से सुनवाई की गई।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08 मार्च, 2000 के शासनादेश एवं तत्पश्चात् दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के संशोधित शासनादेश के अनुक्रम में, राज्य के मत्स्य विभाग ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को जनपद सोनभद्र और मिर्जापुर में क्रमशः धंधरौल जलाशय तथा बरौधा जलाशय, श्रेणी-I एवं श्रेणी-III, को मत्स्य पालन हेतु नीलामी के लिए सूचना प्रकाशित की, और याचिकाकर्ता सर्वोच्च बोली लगाने वाला होने के कारण उसे धंधरौल जलाशय, श्रेणी- I, के सम्बन्ध में प्रति वर्ष रु. 60,00,000/- की पट्टा राशि पर मत्स्य पट्टा प्रदान किया गया, जो अगले दो वर्षों तक वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर विस्तारणीय था। धंधरौल जलाशय में मत्स्याधिकार के संदर्भ में मानक, वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 17.12.2014 को याचिकाकर्ता को अधिनिर्णीत किये गये और याचिकाकर्ता ने नीलामी समिति के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्काल एवं निर्विवाद रूप से 25 प्रतिशत धनराशि रु. 15 लाख जमा कर दी। करार सम्पन्न हुआ और याचिकाकर्ता ने मछलियाँ पालने के प्रयोजन हेतु बीज पर धन व्यय किया। मछलियाँ उगाने हेतु स्वच्छ जलाशय में अण्डे/बीज डालने के लिए तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने हेतु, याचिकाकर्ता को दिनांक 18 मार्च, 2015 के पत्र द्वारा करार में प्रवेश करने तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 तक समस्त देय राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा विलम्बित भुगतान पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा और यदि वह जमा कराने में विफल रहा, तो मत्स्याधिकार के संदर्भ में निविदा पट्टा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

3. याचिकाकर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि जमा न करने पर, उसे दिनांक 25 जून, 2015 को एक अन्य नोटिस तामील किया गया कि वह रु. 45 लाख की शेष धनराशि ब्याज सहित दिनांक 30 जून, 2015 तक जमा करे, अन्यथा धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30 जून, 2015 के पत्र द्वारा इस नोटिस का उत्तर देते हुए बाँध का प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों के आचरण पर खेद व्यक्त किया, क्योंकि बाँध का गेट खोले जाने से जलाशय से नहर में पली-बढ़ी मछलियाँ चली गईं, जिससे उसे भारी क्षति हुई और परिणामस्वरूप वह अधिक मछलियाँ नहीं पकड़ सका। चूँकि यह उसे बिना सूचित किये किया गया था, इसलिए वह इस विषय में कुछ नहीं कर सका और अतः जलाशय में शेष मात्रा को देखते हुए जमा की गई संविदा धनराशि पर्याप्त थी। दिनांक 14 जुलाई, 2015 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता ने मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक को सूचित किया कि अपेक्षित 850 कुन्तल मछली के विरुद्ध वह धंधरौल जलाशय से केवल 45.5 कुन्तल मछली ही पकड़ सका और इसकी सूचना जलाशय पर तैनात विभाग के अधिकारियों को दी गई थी। तथापि, चूँकि करार में मध्यस्थता खण्ड के अन्तर्गत तथ्य के गम्भीर विवादास्पद प्रश्न थे, अतः भिश्म लाल वर्मल, निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता को दिनांक 17 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। मध्यस्थ ने दिनांक 4 मार्च, 2016 को इस आशय का आदेश पारित किया कि चूँकि यह प्रकरण एक लम्बित मध्यस्थता में विचाराधीन था, इसलिए रु. 49,27,905/- की धनराशि हेतु दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 को जारी वसूली प्रमाण-पत्र को सेवा में नहीं लाया जाना चाहिए था। इस आश्वासन पर कि मध्यस्थता चल रही थी, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता मंच के समक्ष दाखिल अपनी शिकायत वापस ले ली और इस आशय का आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को उपभोक्ता मंच के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एकमात्र मध्यस्थ का स्थानान्तरण हो गया और फलस्वरूप मध्यस्थता का प्रकरण उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित सचिव द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा नियुक्त मध्यस्थता समिति को निर्दिष्ट किया गया। इस समिति में डॉ. नाजुल हक, प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य सहकारी समितियाँ लि., लखनऊ, अध्यक्ष के रूप में; श्री एन.एस. रहमानी, मुख्य प्रबन्धक, मत्स्य विकास बोर्ड; तथा श्री ए.के.लाल, उप निदेशक, मुख्यालय, निदेशालय मत्स्य, सचिव सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। प्रकरण याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता समिति के समक्ष विवादित किया गया और अन्ततः मध्यस्थता समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि चूँकि बाँध के स्लुइस गेट को खोलने से जलाशय में जलस्तर निम्नतम स्तर तक घट जाने के कारण अधिकांश मछलियाँ नहर में चली गईं, इसलिए अधिक मछली पकड़ना सम्भव नहीं हो सका और मछली पकड़ना केवल 45.5 कुन्तल तक ही हो सका, जबकि पट्टा 850 कुन्तल के लिए अधिनिर्णीत किया गया था। मध्यस्थता समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मछली पकड़ना केवल 45.5 कुन्तल का था, जिसकी औसत लागत रु. 4.60 लाख होती और याचिकाकर्ता पहले ही रु. 15 लाख जमानत राशि के रूप में तथा बैंक गारण्टी रु. 9.93 लाख प्रत्यर्थी के पास जमा कर चुका था और चूँकि रु. 22 लाख निम्नतम मूल्य एवं संविदा धनराशि के रूप में निर्धारित था, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा जमा रु. 24.93 लाख रु. 22 लाख से अधिक था, अतः विभाग को कोई हानि नहीं हुई। मध्यस्थता समिति का यह निष्कर्ष था कि चूँकि संविदा "यथास्थिति" के आधार पर नहीं थी, इसलिए यदि स्लुइस गेट खोले जाने थे तो यह विभाग का दायित्व था कि वह जलाशय में पर्याप्त जल सुनिश्चित करे ताकि ठेकेदार को क्षति पहुँचाते हुए मछलियाँ नहर में न चली जाएँ और इसलिए ठेकेदार को क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मध्यस्थता समिति ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि विभाग को क्षति हुई, किन्तु चूँकि मछली पट्टा पहले ही निरस्त हो चुका था, इसलिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वसूली बकाये को माफ कर देना चाहिए। इस मध्यस्थता निर्णय के राज्य सरकार को प्रस्तुत होने पर, राज्य सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया और दिनांक 16 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा वसूली माफ कर दी। आदेश के पैरा 4 और 5 महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है:

"4- उपरोक्तानुसार गठित मध्यस्थत समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग मत्स्य विभाग द्वारा लापरवाही, दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाते हुए बगैर सूचना दिये ही धंधरौल जलाशय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



डैम व घाघरा मुख्य नहर को एकाएक खोल देने व जलाशय को शून्य जलस्तर पर कर देने से डैम व घाघरा नहर के जल निकासी मार्ग से जलाशय की करोड़ों रुपये की मछलियाँ घाघरा नदी व घाघरा मुख्य नहर में गिर/ बह जाने के कारण ठेकेदार द्वारा मत्स्य विभाग के निधारित लक्ष्य 850 कुन्तल के सापेक्ष 45.5 कुन्तल मछलियाँ जलाशय के निकाली जा सकी। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि आगामी वर्षों में धंधरौल जलाशय का न्युनतम मूल्य ₹0 22.00 लाख ही निधारित किया गया है, जो कि वर्ष 2014-15 में श्री मुश्ताक द्वारा भुगतान की गयी धनराशि ₹0 24.93 लाख (₹0 15 लाख 25 प्रतिशत तथा ₹0 9.93 लाख जमानत राशि) की तुलना में कम है। पूर्व तथा आगामी वर्षों में प्राप्त राजस्व के सापेक्ष विभाग को कोई हानि नहीं हुई है। अतः मध्यस्थता समिति द्वारा ठेकेदार श्री मुश्ताक अहमद कि प्रार्थना पत्र में किये गये निवेदन व वर्णित परिस्थितियों में गुण दोष के आधार पर अवशेष राशि को आर0सी0 के माध्यम से वसूली को माफ करने पर शासन स्तर से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मध्यस्थता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार ठेकेदार श्री मुश्ताक अहमद पुत्र स्व0 इसहाक अहमद निवासी पूरब मोहाल हामिदनगर जनपद सोनभद्र पर धंधरौल जलाशय की अवशेष धनराशि/किश्त ₹0 49,27,905 (₹0 उनचास लाख सत्ताइस हजार नौ सौ पांच मात्र) की आर0सी0 के माध्यम से वसूली को माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।"

4. यह आदेश, तथापि, दिनांक 30 जून, 2017 को बिना कोई विशिष्ट कारण दर्शाये, केवल यह तथ्य अंकित करते हुए वापस ले लिया गया कि मध्यस्थता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुनः परीक्षा करने पर यह पाया गया कि मध्यस्थता समिति द्वारा ऋण माफी की संस्तुति पर पहुँचने के लिए साक्ष्य एवं दस्तावेजों का कोई पारदर्शिता और समुचित मूल्यांकन नहीं था, फलस्वरूप दिनांक 11 जुलाई, 2017 को रु. 49,27,905/- की वसूली का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि प्राधिकारी ने आदेश को वापस लेते समय *ex parte* कार्यवाही की, जो शक्ति का समुचित प्रशासनिक प्रयोग नहीं था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. रिट सी संख्या 37592, 2017 होने वाली रिट याचिका ग्राह्य की गई और अन्तरिम संरक्षण प्रदान किया गया, किन्तु तत्पश्चात् याचिका को अनुमति प्रदान करते हुए, दिनांक 30.6.2017 का आदेश एवं दिनांक 11 जुलाई, 2017 का वसूली आदेश तथा दिनांक 21 जुलाई, 2017 की वसूली नोटिस भी अपास्त करते हुए प्रकरण को प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को नये सिरे से निर्णय के लिए प्रेषित किया गया। अब जब प्रकरण प्रेषित हुआ, तो पुनः दिनांक 9 जनवरी, 2024 को याचिकाकर्ता के दिनांक 19.9.2023 के अभ्यावेदन को निराधार ठहराते हुए एवं रु. 49,27,905/- की वसूलनीय धनराशि का 90 प्रतिशत याचिकाकर्ता से तथा 10 प्रतिशत मुख्य मत्स्य विकास

अधिकारी से वसूल करने का आदेश पारित किया गया। अतः यह आदेश इस अर्थ में पारित किया गया कि दिनांक 30 जून, 2017 का आदेश संशोधित हो गया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दो प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं:

(क) एक बार जब मध्यस्थ अधिनिर्णय पारित हो गया जिसमें याचिकाकर्ता को संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दोषी नहीं पाया गया, यद्यपि विभाग को क्षति हुई, तो निष्कर्ष अन्तिम हो गये और केवल उस स्थिति में पुनर्विलोकन के अधीन थे, जब जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता याचिका दाखिल की जाती और तत्पश्चात् यदि व्यथित हों तो अपील प्राथमिकृत की गई है; और

(ख) मध्यस्थता समिति की अनुशंसा को स्वीकार करने हेतु राज्य द्वारा शक्ति का प्रशासनिक प्रयोग, जब तक निष्कर्ष प्रत्यावर्तित न हों और यह सिद्ध न हो जाए कि वह आदेश कपट एवं/या मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था और वह आदेश विधि के किसी प्राधिकार के बिना था, वापस नहीं लिया जा सकता था, और चूँकि प्रकरण की पूर्ववर्ती स्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए दिनांक 16 मार्च, 2017 का आदेश वापस नहीं लिया जा सकता था।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह द्वारा एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण न्यायालय द्वारा केवल सीमित प्रयोजन के लिए प्रेषित किया गया था और यह इस सीमा तक था कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए क्योंकि आदेश बिना सुनवाई के पारित किया गया था, किन्तु सुनवाई के अवसर का अर्थ यह नहीं है कि वह प्राधिकारी जिसे शक्ति प्रदत्त है, पूर्व के आदेश को उसके गुण-दोषों पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनर्विलोकन/वापस लेते हुए नया आदेश पारित कर सके जबकि उसे चुनौती नहीं दी गई थी। इस प्रकार श्री सिंह का कथन है कि याचिका स्वीकार होने योग्य है और आदेश के साथ-साथ वसूली भी निरस्त होने योग्य है।

8. उक्त अभिवेदन के प्रत्युत्तर में श्री एस.के.सिंह, विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तीन बिन्दु उठाये हैं:

क. मध्यस्थता समिति की कोई संकल्पना नहीं थी और केवल एकल सदस्यीय मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी थी, अतः समिति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकती थी;

ख. दिनांक 17.10.2016 का मध्यस्थता समिति का आदेश केवल अनुशंसा था, इसलिए राज्य सरकार के लिए भिन्न रुख अपनाना उचित था।

ग. सचिव द्वारा पारित आदेश न्याय के सुदृढ़ विधिक सिद्धान्त पर आधारित है क्योंकि सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, और इसमें मध्यस्थता समिति के निष्कर्षों पर संशय करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी।

9. अपने उक्त अभिवेदन के समर्थन में श्री श्रीवास्तव ने विधि के इस बिन्दु पर बल दिया कि एक बार पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ करार कर लिया, तो वह करार की मध्यस्थता से आबद्ध था, और इसलिए याचिकाकर्ता को दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा किसी भी स्थिति में विस्तारित अवधि दिनांक 30 जून, 2015 तक सम्पूर्ण पट्टा राशि जमा करनी थी। उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 5.12.2023 को निदेशक, मत्स्य द्वारा उठाई गई पश्चात्कर्ती रिपोर्ट के अनुसार, जलाशय का जल बाँध के स्लुइस गेट को खोलकर खाली नहीं किया जा सकता था और न ही उसे न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता था, ताकि जलाशय में डाली गई मछलियाँ गेट के माध्यम से जल के साथ बह जाएँ। इस प्रकार, उनके अनुसार, मध्यस्थता समिति द्वारा दिया गया निष्कर्ष विकृत था। उन्होंने यह भी दोहराया कि मध्यस्थता समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष अंकित करने में उसके साथ मिलीभगत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि वह बकाया के प्रति दायी था और उसके द्वारा पहले से जमा धनराशि को बकाये के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता समिति के सभी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी।

10. पक्षकारों के सम्बन्धित अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्, हमारे विचारार्थ दो विधिक प्रश्न उभरते हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. क्या राज्य सरकार, मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट से एक अधिनिर्णय के रूप में आबद्ध थी और उसे चुनौती देने के लिए वह केवल मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन कर सकती थी, अन्यथा नहीं;

ii. क्या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सचिव मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा को स्वीकार करने वाले अपने पूर्व के आदेश को बिना किसी अभिकथन या उद्धरण के कि वह पूर्व आदेश कपट एवं/या मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था, आक्षेपित आदेश में वापस ले सकता था।

11. प्रथम पहलू पर आते हुए, हम पाते हैं कि मध्यस्थता खण्ड के विषय में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और न ही मध्यस्थ को किये गये निर्देश के विषय में कोई विवाद है क्योंकि राज्य सरकार ने स्वयं भिष्म लाल वर्मा को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था।

12. यह अभिकथन पैरा 28 में किया गया है कि मध्यस्थ को मत्स्य विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया और उक्त मध्यस्थता प्रकरण तत्पश्चात् विशेष सचिव द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति को निर्दिष्ट किया गया। रिट याचिका के पैरा 28 का विषय-वस्तु निम्नानुसार है:

"28. यह कि एकमात्र मध्यस्थ का मत्स्य विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरण हो गया, इसलिए मध्यस्थता प्रकरण तीन सदस्यीय मध्यस्थ समिति को निर्दिष्ट किया गया। तीन सदस्यीय मध्यस्थ समिति की नियुक्ति दिनांक 21.09.2016 के कार्यालय आदेश द्वारा की गई। धारा 2d मध्यस्थता न्यायाधिकरण को परिभाषित करती है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 10 मध्यस्थों की संख्या को परिभाषित करती है। दिनांक 21.09.2016 के आदेश की फोटोप्रति यहाँ दाखिल की जाती है और इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 18 के रूप में चिह्नित की जाती है।"

13. मध्यस्थता समिति की इस नियुक्ति को अस्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि चूँकि वह एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसने दिनांक 7.4.2016 को मध्यस्थता कार्यवाही बंद कर दी और इन परिस्थितियों में सरकार तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति नियुक्त करने के लिए बाध्य हुई। प्रति शपथ-पत्र के पैरा 36 का विषय-वस्तु निम्नानुसार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"यह कि रिट याचिका के पैरा संख्या 28 के विषय-वस्तु, जैसा कि कहा गया है, पूर्णतः गलत एवं असत्य हैं, अतः दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किये जाते हैं। यह कहना गलत है कि एकमात्र मध्यस्थ का मत्स्य विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरण हुआ था, इसलिए मध्यस्थता प्रकरण तीन सदस्यीय मध्यस्थ समिति को निर्दिष्ट किया गया। यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं एकमात्र मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और सहयोग नहीं किया, इसलिए एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांक 7.4.2016 के आदेश द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही बंद कर दी। तत्पश्चात् सरकार ने तीन सदस्यीय सुलह समिति की नियुक्ति की।"

14. प्रति शपथ-पत्र का उक्त उद्धृत पैरा 36 अभिलेखों के आधार पर शपथबद्ध किया गया है, किन्तु दिनांक 7.4.2016 के आदेश के रूप में कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही बंद कर दी थी; इसके विपरीत हम पाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की नियुक्ति करने वाला विशेष सचिव का आदेश किसी ऐसे आदेश का उल्लेख नहीं करता। इस प्रकार रिट याचिका के पैरा 28 में जो अभिकथन किया गया है उसके विशिष्ट खण्डन के अभाव में, यह मान लेना उचित होगा कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति एकमात्र मध्यस्थ के स्थानान्तरित होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी।

15. प्रकरण की किसी भी दृष्टि से, एक बार प्रकरण तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को अन्तरित हो गया, तो इसे मध्यस्थता कार्यवाही माना जाएगा और श्री श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता करार की सम्बन्धित धाराओं से यह नहीं बता सके कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान था, न कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का।

16. हमने पक्षकारों के बीच सम्पन्न करार की शर्तों का अवलोकन किया और हमें किसी भी धारा में ऐसा कुछ नहीं मिला जो केवल एकल/एक सदस्यीय मध्यस्थ का आदेश देता हो। करार का सम्बन्धित प्रावधान नीचे उद्धृत किया जाता है:

"11. जलाशय के ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण मध्यस्थ को दिया जायेगा। मध्यस्थ की नियुक्ति निदेशक मत्स्य द्वारा की जायेगी, जिनके द्वारा निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की वैध नियुक्ति हुई और उसने दिनांक 17.10.2016 को याचिकाकर्ता द्वारा पहले से की गई अदायगी को वसूली के विरुद्ध समायोजित करते हुए और राज्य को मध्यस्थता समिति के निष्कर्षों के अनुसार वसूली माफ करने का निर्देश देते हुए अधिनिर्णय पारित किया। अतः मध्यस्थता समिति के निष्कर्ष भाग में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि करार के अनुसार याचिकाकर्ता को जलाशय से 850 कुन्तल मछली पकड़नी थी जबकि वह केवल 45.5 कुन्तल ही पकड़ सका, क्योंकि जलाशय का जल निम्न स्तर पर पहुँच गया और अधिकांश मछलियाँ स्लुइस गेट खोलने के पश्चात् गेट के माध्यम से नहर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में चली गई, और वह भी याचिकाकर्ता को बिना सूचित किये। इन निष्कर्षों को कभी आक्षेपित नहीं किया गया और इसलिए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत मध्यस्थता हेतु आबद्धकर प्रभाव रखने वाले माने जाएंगे। मध्यस्थता समिति का अधिनिर्णय निश्चित रूप से जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनौती दिया जा सकता था, किन्तु राज्य ने उसे चुनौती न देकर उसे स्वीकार करना ही उचित समझा। तदनुसार राज्य सरकार की ओर से अवर सचिव द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 को रिपोर्ट स्वीकार करने और याचिकाकर्ता के समस्त बकाये को माफ करने का आदेश पारित किया गया।

18. उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफों (उपर्युक्त पैरा 3 देखें) से, दिनांक 16 मार्च, 2017 के अवर सचिव के आदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मध्यस्थता समिति द्वारा दिये गये निष्कर्षों को समग्र रूप से स्वीकार किया गया था और फलस्वरूप याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की गई थी, किन्तु अचानक यह आदेश दिनांक 30 जून, 2017 के आदेश द्वारा बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के वापस ले लिया गया। दिनांक 30 जून, 2017 के आदेश में वापसी का उचित कारण दिया गया कि मध्यस्थता समिति द्वारा पारित आदेश, दस्तावेजों के समुचित मूल्यांकन के बिना पारित था और पारदर्शिता की कमी से ग्रसित था, तथा रिपोर्ट *ex parte* थी। दिनांक 30 जून, 2017 के आदेश के पैरा 2 और 3 में दिये गये कारण नीचे उद्धृत किये जाते हैं:

"2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में मध्यस्थता समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट/संस्तुति का पुनः परीक्षण करने पर यह पाया गया कि मध्यस्थता समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों का निष्पक्ष व पारदर्शी विश्लेषण न करते हुए एक पक्षीय आख्या प्रस्तुत करते हुए श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इशाक अहमद निवासी पूरब मोहान हामिदनगर जनपद सोनभद्र पर श्रेणी-1 क धंधरौल जलाशय जनपद सोनभद्र की अवशेष धनराशि/किश्त रू0 49,27,905/- की आर0सी0 में माध्यम से वसूली को माफ किये जाने के सम्बन्ध में अनियमित रूप से अपनी संस्तुति प्रायी गयी।

3. उक्त प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व ठेकेदार श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री इशाक अहमद निवासी पूरब मोहान हामिदनगर जनपद सोनभद्र पर श्रेणी-1 क धंधरौल जलाशय जनपद सोनभद्र की अवशेष धनराशि/किश्त रू0 49,27,905/- (रू0 उन्चास लाख सत्ताईस हजार नौ सौ पांच मात्र) की आर0सी0 के माध्यम से वसूली को माफ किये जाने हेतु विषयक शासन के उक्त संदर्भित आदेश संख्या 1959/सत्रह-म-2016-0-9(320)/2016 दिनांक 16 मार्च 2017 को तत्कालीन प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कृपया उपरोक्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय

30.06.17

डा० सुधीर एम० बोबडे
मुख्य सचिव"

19. उपर्युक्त उद्धृत पैराग्राफों में निहित उद्धरण, अवर सचिव द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 को पारित पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन करने के समकक्ष थे। यदि मुख्य सचिव अथवा विशेष सचिव को उच्चतर प्राधिकारी माना जाए, तो यह अवर सचिव के आदेश के ऊपर एवं परे बैठकर की गई अपील के बराबर था जो हमारे विचार में सांविधिक प्रावधान के अभाव में घोर अनुशासनहीनता हो सकती है और अनुशासनात्मक कार्यवाही को आमन्त्रित कर सकती है। पुनर्विलोकन की शक्ति इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकती, किन्तु वापस लेने की शक्ति निश्चित रूप से उपलब्ध होगी, बशर्ते प्राधिकारी के संज्ञान में यह लाया जाए कि पूर्व का आदेश कपट/मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा निश्चित रूप से उस स्थिति में जब आदेश विधि के प्राधिकार के बिना हो। हम पाते हैं कि दिनांक 16 मार्च, 2016 के पूर्व के आदेश में मध्यस्थता समिति के निष्कर्षों पर पूर्ण चर्चा थी, किन्तु दिनांक 13 जून, 2017 के वापसी के आदेश में इस विषय में कोई कारण नहीं दिया गया कि पूर्व में स्वीकृत यह निष्कर्ष क्यों त्रुटिपूर्ण था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, यह आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के विस्तृत निर्णय द्वारा न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया, जिसमें प्रकरण के पुनर्विचार एवं नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने मूलतः इस कारण आदेश को निरस्त किया कि सरकार के सचिव द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया था। अब इस बार याचिकाकर्ता ने प्रकरण प्रस्तुत किया और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किया गया।

20. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह द्वारा एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि मात्र इस कारण कि प्रकरण प्रेषित था, इसका अर्थ यह नहीं था कि प्राधिकारी को गुण-दोषों पर नया निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो गई। इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि यह विधि का प्रश्न बना रहेगा कि क्या राज्य की ओर से सचिव द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने के बाद पारित आदेश, मिथ्या व्यपदेशन या कपट के किसी निष्कर्ष के अभाव में, वापस लिया जा सकता था।

21. **इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1996) 5 एससीसी 550** के प्रकरण में उभरी विधिक स्थिति के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 20 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"20. पुनर्विलोकन याचिका के साथ दिनांक 26.8.91 का पत्र संख्या 2775 दाखिल करते हुए और यह अभिवाक् करते हुए कि उसी तिथि का दूसरा पत्र, अर्थात् पत्र संख्या 2776, प्रत्यर्थी द्वारा कभी नहीं लिखा या जारी नहीं किया गया, वास्तव में अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष यह अभिवाक् उठाया कि उसका दिनांक 16.11.93 का निर्णय, जो पत्र संख्या 2776 पर आधारित था, प्रत्यर्थी द्वारा न केवल अपीलार्थी पर बल्कि आयोग पर भी कपट का अभ्यास करते हुए प्राप्त किया गया था क्योंकि दिनांक 26.8.91 का पत्र संख्या 2776 इस प्रकरण के प्रयोजन हेतु प्रत्यर्थी द्वारा कूटकृत किया गया था। इस अभिवाक् की आयोग द्वारा विधिसंगत रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, जिसे यह स्मरण रहना चाहिए कि प्राधिकारी, चाहे वे संवैधानिक, वैधानिक या प्रशासनिक हों, (और विशेष रूप से जिन्हें विवाद का निर्णय करना है) अपने निर्णयों या आदेशों को वापस लेने की शक्ति रखते हैं यदि वे कपट द्वारा प्राप्त किये गये हों क्योंकि कपट और न्याय कभी साथ-साथ नहीं रह सकते (Fraus et jus nunquam cohabitant)। यह बारम्बार कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि कपट और छल किसी भी व्यक्ति का बचाव या क्षमा नहीं कर सकते (*Fraus et dolus nemini patrocinar debent*)।

21. स्मिथ बनाम ईस्ट एलो ग्रामीण जिला परिषद (1956) एसी 736 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि कपट का प्रभाव सामान्यतः किसी भी कार्य या आदेश को अमान्य करना होगा। एक अन्य प्रकरण, लाज़रुस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम बेस्ली (क्यूबी पृष्ठ 712 पर) में, डेनिंग, एलजे ने कहा:

'अदालत के किसी भी फैसले को, किसी मंत्री के आदेश को कायम नहीं रहने दिया जा सकता है, अगर वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो। धोखाधड़ी सब कुछ खंडित कर देती है।

22. इस दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय ने बुधिया स्वैन और अन्य बनाम गोपीनाथ देब और अन्य (1999) 4 एससीसी 396 के प्रकरण में और अनुमोदित किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पैरा 6 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"वापस लेने की (रीकॉल करने की) शक्ति क्या है? न्यायाधिकरणों या न्यायालयों में निहित अपने आदेश को वापस लेने की (रीकॉल करने की) शक्ति इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1996) 5 एससीसी 550 में लक्षित की गई थी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों के पास आदेश को वापस लेने और अपास्त करने की अन्तर्निहित शक्ति है, जो

- i) कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो,
- ii) जब न्यायालय को किसी पक्षकार द्वारा भ्रमित किया गया हो, या
- iii) जब न्यायालय स्वयं ऐसी भूल करे जो किसी पक्षकार को पूर्वाग्रहित करे।

ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक [(1988) 2 एससीसी 602: 1988 एससीसी (सीआरआई) 372 : एआईआर 1988 एससी 1531, पैरा 130] में, इस न्यायालय ने निर्णयों को अपास्त किये जाने हेतु आवेदनों को लक्षित किया जहाँ:

- (i) निर्णय इस तथ्य की उपेक्षा करके पारित किया गया हो कि आवश्यक पक्षकार को सेवित नहीं किया गया था और उसे सेवित दर्शाया गया था या इस तथ्य की उपेक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करके कि एक आवश्यक पक्षकार की मृत्यु हो गई थी और उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व नहीं था,

(ii) कपट द्वारा निर्णय प्राप्त किया गया हो,

(iii) किसी पक्षकार को कोई सूचना नहीं थी और उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई हो और ऐसा पक्षकार यह साबित करने पर (न्याय के दायित्व से मुक्त होने) *ex debito justitiae* के आधार पर निर्णय अपास्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करे कि कोई सेवा नहीं थी।"

23. उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सुदृढ़ विधिक सिद्धान्त से, यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी केवल वापस लेने के लिए अपने आदेश को वापस लेने की शक्ति से सम्पन्न नहीं है। प्राधिकारी विधि में अपने वापसी के कार्य को न्यायोचित ठहराने के लिए कारण दर्ज करने और उसे न्यायसंगत ठहराने के लिए बाध्य है।

24. हमारे सुविचारित मत में, यदि कोई आदेश किसी मिथ्या व्यपदेशन या कपट से ग्रसित नहीं है अथवा विधि के प्राधिकार के अभाव में खराब नहीं है, तो उसे मस्तिष्क के समुचित प्रयोग के पश्चात् पारित वास्तविक आदेश माना जाना चाहिए और इसलिए ऐसे आदेश को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि जब इस न्यायालय ने प्रकरण को प्रेषित किया, तो उसने तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा को स्वीकार करने वाले अवर सचिव के दिनांक 16 मार्च, 2017 के आदेश को अपास्त नहीं किया। इसने प्रकरण को याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए प्रेषित किया क्योंकि दिनांक 11 जुलाई, 2017 का दिनांक 30 जून, 2017 के आदेश को वापस लेने वाला आदेश अपास्त किया जा रहा था। सम्पूर्ण आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात्, हम पाते हैं कि इसमें कोई

मिथ्या व्यपदेशन या कपट का लेशमात्र भी नहीं है कि दिनांक 30 जून, 2017 का आदेश प्राप्त किया गया, बल्कि निष्कर्ष यह है कि मध्यस्थता समिति की अनुशंसा दोषपूर्ण है। सचिव, मध्यस्थता समिति की उस अनुशंसा के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहे थे जिसे राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, ताकि यह जाँचा जा सके कि वह केवल अनुशंसा थी या मध्यस्थता समिति द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत पूर्ण अधिनिर्णय था। यह प्रेषण प्राधिकारी को मध्यस्थता समिति द्वारा दिये गये निष्कर्षों से परे जाकर भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकार नहीं देता। इस प्रकार मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रकरण को चुनौती दिये बिना, सरकार मध्यस्थता समिति की अनुशंसा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध है।

25. उपर्युक्त दृष्टि में, प्रथम बिन्दु याचिकाकर्ता के पक्ष में और राज्य के विरुद्ध उत्तरित होता है।

26. द्वितीय बिन्दु पर आते हुए कि क्या आदेश वापस लिया जा सकता था। हम पहले ही उपर अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि वापसी का आदेश उन सिद्धान्तों की परीक्षा पर खरा नहीं उतरता जिन पर वापसी को प्रशासनिक या *quasi judicial* कार्यवाही के रूप में न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

27. उपरोक्त के अतिरिक्त, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश के अन्तर्गत एक नई रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 की है, जो पट्टा निरस्तीकरण के बहुत बाद की है। प्रत्यर्थियों को वर्ष 2023 में ही, 2015 से आठ से अधिक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्, रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। जलाशय का रखरखाव और न्यूनतम जल स्तर वर्ष 2015 में एक विषय था और वर्ष 2015 में जो हुआ वह वर्ष 2023 में भी वैसा ही रहा, यह नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2015 में घटित घटना की जाँच या पड़ताल के लिए, वर्ष 2015 में उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश की परीक्षा हेतु वर्ष 2015 में नई रिपोर्ट बुलाने का कोई भी अवसर नहीं था। आक्षेपित आदेश में निहित कोई उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए नहीं है कि वर्ष 2023 की यह रिपोर्ट किसी भी समय याचिकाकर्ता को दिखाई गई। सम्पूर्ण आदेश उस रिपोर्ट पर आधारित है जो यह प्रदर्शित करती है कि न्यूनतम जल स्तर बना रहा और जलाशय को खाली नहीं किया जा सकता था, इसलिए निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे।

28. हमारे सुविचारित मत में, वर्ष 2016 में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिये गये निष्कर्ष 8 वर्षों के पश्चात् प्राप्त किसी नई रिपोर्ट के आधार पर अव्यवस्थित नहीं किये जा सकते। यह निश्चित रूप से मध्यस्थता कार्यवाही में पहुँचे निष्कर्षों को क्षीण करने के लिए राज्य की जाँच के दायरे से परे था। गुण-दोषों पर भी वापसी का आदेश त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार वापसी का आदेश विधि में टिकाऊ नहीं हो सकता।

29. उपर्युक्त दृष्टि में, रिट याचिका सफल होती है एवं स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 9.1.2024 को पारित आदेश, अनुलग्नक संख्या 1,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरस्त किया जाता है और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 18.1.2024 को पारित आदेश (अनुलग्नक संख्या 2) यदि कोई हो, स्वतः निरस्त हो जाएगा।

30. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

(स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति)

(अजित कुमार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

संजीव

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।